न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 02/2019-20

अनिता देवी पति श्री कैलाश महतो – अपीलकर्त्ता
ग्राम–राजा कुंजला, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	**आदेश**	की गई कार्रवाई
09.09.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1336R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
खूँटी टोली	खूँटी 80	06	331	0.04

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा–खूँटी टोली, थाना–खँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.04 एकड़ है को श्री ठेमाश्वर कांशी पिता स्व0 महेन्द्र कुमार कांशी ग्राम–कुमांग, थाना–तोरपा से विक्रय पट्टा सं0 1375/1332 दिनांक 31.08.2016 से क्रय किया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं0 1336R27/18-19 पड़ा।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2018 के अनुसार विक्रेता के नाम पर ऑनलाईन पंजी 2 में जमाबन्दी दर्ज नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन दिनांक 13.03.19 के अनुसार राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता स्वंय पंजी 2 रैयत है क्रेता आवेदित भूमि पर दखलकार है। उन्होंने नामांतरण स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि विक्रेता स्वंय पंजी 2 रैयत है एवं क्रेता आवेदित भूमि पर दखलकार है। अंचल अधिकारी को आवेदक का दखल को देखते हुए नामांतरण स्वीकृत कर देना चाहिए था। अंत में अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकृत करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अपील वाद स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, खूँटी को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से वांछित कागजात प्राप्त कर ऑनलाईन पंजी 2 में जमाबन्दी दर्ज करते हुए नामांतरण की कार्रवाई करेंगे एवं आवेदक का नाम दाखिल खारिज करते हुए पंजी–II में आवश्यक सुधार कर सरकारी रसीद आवेदक के पक्ष में निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

09/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

09/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।